न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 01/2018
दायरा तिथि : 04.01.2018
आदेश तिथि : 19.04.2018

प्रार्थी :-

गमनाराम पुत्र श्री गलाराम जाति घांची
नि0 बाली तहसील बाली जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. नगरपालिका, बाली
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
3. लखमाराम पुत्र तेजारामजी जाति सीरवी नि0 बाली

उपस्थिति :-

1. श्री भरत जे. राठौड	अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
2. तहसीलदार, बाली	पैरोकार सरकार

-:: आदेश ::- **दिनांक :** 19-04-2018

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित नियम-68 राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012

आवेदक खातेदार श्री गमनाराम पुत्र गलाराम घांची, निवासी-बाली द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित नियम-68 राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 निर्धारित प्ररूप मे प्रस्तुत कर स्वयं की सहखातेदारी भूमि मौजा बाली तह. बाली के ख.न. 1541 मे स्थित विद्युतिकृत टियूब वेल से ख.न. 1225 की भूमि सिंचित करने के लिए पुर्व में न्यायालय आदेश से राजकीय भूमि ख.न. 1570 किस्म गे.मु.रास्ता मे से 3 फीट गहरी पाईप लाईन बिछाई हुई होना बताया। तथा अब आगे खसरा नंबर 654 की भूमि को सिंचित करने के लिये खसरा नंबर 1225 से रास्ते-रास्ते खसरा नंबर 654 की सिंचाई के लिये 3 फीट गहरी पाईप लाईन स्थापित करने की अनुमति के लिए निवेदन किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध मे तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित भूमि मे भूमिगत पाईप लाईन स्थापित करने के लिए प्रभावित भूमि के विवरण सहित अभिशंषा की गई है। तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विवरण एवं अभिशंषा के अनुसार भूमिगत पाईप लाईन स्थापित करने से प्रभावित भूमि के प्रतिकर राशी का निर्धारण नियमो के नियम 70 (ii) (ख) के अन्तर्गत निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

क्र. स.		प्रस्तावित भूमिगत पाईप लाईन से प्रभावित भूमि का विवरण					डी.एल.सी दर दस प्रतिशत की दर से देय प्रतिकर राशी (रूपये)
		नाम ग्राम	ख.न.	रकबा (हैक्टर)	किस्म	प्रभावित क्षैत्रफल (वर्ग फीट	
1	नगरपालिका बाली	बाली	1214	0.90	गे.मु रास्ता	1573	5318
2	नगरपालिका, बाली	बाली	1082	0.12	गै.मु रास्ता	690	2333
3	नगरपालिका,बाली	बाली	562	0.16	गै.मु रास्ता	885	2992

डामर रोड कटिंग के संबध में प्रार्थी सार्वजनिक निर्माण विभाग में राशि जमा कराने हेतु बाध्य रहेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की क्षति धारित नही होना जाहिर है।

उप-खण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार 2

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 01/2018 अनवान गमनाराम बनाम नगरपालिका बाली वगैरा
<u>अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

उपरोक्तानुसार पाईप लाईन स्थापित करने से प्रभावित भूमि का प्रतिकर संबंधित खातेदार नगरपालिका बाली को देय होगा एवं नियमानुसार तहसील कार्यालय बाली मे आवेदक द्वारा जमा करवाई जावेगी। प्रार्थी P.W.D. के पत्रांक 183 दिनांक 27.03.2018 द्वारा दी गई N.O.C. में वर्णित सभी शर्तो से बाध्य रहेगा।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (A) सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियम–69 एवं 70(1)(ख) के अन्तर्गत आवेदक श्री गमनाराम पुत्र गलाराम घांची, निवासी–बाली को धारित सहखातेदारी जोत को सिंचित करने के लिए आत्यांतिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मौजा बाली के ख.न. 1541 मे स्थित टियूब वेल से ख.न. 1570 मे से 3 फीट गहराई तक भूमिगत पाईप लाईन संलग्न नक्शा मे लाल स्हायी से दर्शित स्थान पर स्थापित करने की अनुमति जारी की जाती है। आवेदक भूमिगत पाईप लाईन 3 फीट गहरी एवं एक मीटर चौडी खाई खोदकर स्थापित करेगे एवं पुनः खोदी गई खाई को समतल अपने व्यय से करेंगे। अनुमत की गई भूमि का उपयोग सिवाय भूमिगत पाईप लाईन स्थापित किये जाने के अलावा अन्य कोई क्षति धारित करने के लिए पाबन्द रहेंगा। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(गौरव अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी,
बाली
दिनांक : 21-4-2018

क्रमांक : एफ.12(3)राज/रास्ता/2018/790-795

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/पालनार्थ</u> :–

1. तहसीलदार, बाली
2. पटवारी/भू.अ.नि. बाली
3. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, बाली /सहायक अभियन्ता, सा.नि.वि. बाली
4. तहसील राजस्व लेखाकार, तह. बाली
5. रक्षित पत्रावली

उप - खण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी,
बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली जिला - पाली (राज.)

Scanned by CamScanner